Government of the Federal Republic of Germany. However, the draft text provides a broad framework for enhancing co-operation between the two countries in a wide spectrum of environment related areas.

Workshop on Forestry

2850. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether a workshop on forestry has been held under the aegis of India and Britain recently;

(b) what were the conclusions of this workshop;

(c) whether any funds will be obtained from UNCED for development of sustainable forestry;

(d) if so, approximate amount which will be earmarked for sustainable forestry;

(e) whether the States will have a role on the priority to be given on which areas will get focus to regenerate forests; and

(f) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir. A workshop called: "Towards Sustainable Forestry: Preparing for Commission on Sustainable Development 1995" was held in New Delhi over 25th—27th July, 1994.

(b) The workshop adopted a document entitled "Framework for National Reporting to the Third Session of the CSD 1995" and also proposed that the International and Regional Funding Agencies should seek advice from their member countries on how they should report to the CSD and convene small meetings of selected members for this purpose. The workshop welcomed the work being undertaken internationally on the development of criteria and indicators of sustainable forestry and suggested that the FAO might convene meetings of countries not involved in existing initiatives.

(c) and (d) Agenda 21, which is the programme of action adopted at the U.N. Conference on Environment and Development (UNCED) in June, 1992 broadly estimated the average annual cost, over 1993—2000, of implementing programmes to combat deforestation in developing countries, to be about $ 750 million, including about $ 530 million on grants on concessional terms from the international community. As part of ongoing bilateral and other programmes, assistance towards sustainable forestry is received by developing countries including India, though the actual sums received are less than that estimated in Agenda 21.

(e) and (f) Projects for the regeneration of forests for which external assistance is sought are framed by the States keeping in mind the specific conditions in the States, the requirements of fuel, fodder, timber etc. for community and commercial use and the need for improving forest cover in the State.

राज्यों की लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति

2851. श्री राम जेठमलानी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य-सरकारों ने विकास संबंधी परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1994 तक स्वीकृति हेतु कुल कितनी परियोजनायें प्राप्त हुई जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये परियोजनायें सम्बे समय से स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो अधिकतम कितने समय से ये परियोजनायें लंबित हैं;

(ङ) ये परियोजनायें कितनी-कितनी हैं और किस-किस राज्य और विभाग से संबंधित हैं;

(च) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब का एक कारण राज्य-सरकारों का असहयोग है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जो राज्य सरकारों की उपेक्षा के कारण लंबित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अप्रैल, 1994 तक केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए कुल 7676 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें से 5955 प्रस्ताव वन भूमि को उपयोग में लाने संबंधी और 1721 प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए थे।

आज की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों से और संघ राज्य क्षेत्रों के 100 प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें से 5 प्रस्ताव लगभग दो वर्षों से लंबित हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों के दो विवरण I और II संलग्न हैं, एक प्रस्ताव वानिकी की दृष्टि से लंबित परियोजनाओं और दूसरा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाओं से संबंधित है (नीचे देखिये)।

(च) और (छ) यह सच है कि परियोजनाओं के लंबित रहने का एक कारण यह है कि प्रस्तावों को मंजूरी के लिए भेजते समय उनके साथ अनिवार्य ब्यौरे नहीं भेजे जाते हैं। मंजूरी के लिए भेजे गए कुल प्रस्तावों में से 1598 प्रस्तावों को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से स्पष्टीकरण और ब्यौरा मंगाने के लिए वापस भेजा गया है।

विवरण - I

केन्द्र सरकार के पास वानिकी संबंधी लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्ताव
1.	आन्ध्र प्रदेश	06
2.	अरूणाचल प्रदेश	01
3.	बिहार	03
4.	गुजरात	06
5.	हिमाचल प्रदेश	02
6.	कर्नाटक	03
7.	केरल	01
8.	मध्य प्रदेश	18
9.	महाराष्ट्र	15
10.	मणिपुर	02
11.	उड़ीसा	04
12.	पंजाब	01
13.	राजस्थान	01
14.	सिक्किम	01
15.	तमिलनाडु	02
16.	उत्तर प्रदेश	27
17.	त्रिपुरा	01
18.	पश्चिम बंगाल	02
	कुल:	96

विवरण - II

पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राप्त प्रस्ताव और लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्ताव
1.	अंडमान और निकोबार प्रशासन	01
2.	लक्षद्वीप प्रशासन	02
3.	बिजली विभाग, मणिपुर	01
	कुल:	04

Clearance of Tourism Development Projects in Orissa

2852. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether some Tourism Development Projects in Orissa are pending for the environment clearance;

(b) if so, what are the details of these projects;